



2026:AHC: 13004

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43646/2025

ज्ञानेश्वर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपांकर चौधरी, शिवम सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2/जिलाधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 17.10.2025 और 22.11.2025 के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर किया है।

2- उपरोक्त प्रत्यावेदनों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने और निजी प्रत्यर्थियों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, जिसके लिए उसके पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार उप जिलाधिकारी के समक्ष जाने का उपचार उपलब्ध है।

3- मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है और याचिका गुण-दोष रहित होने के कारण एतद्वारा खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 जनवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।